न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः— 06 / 18 दायरा दिनांक 29.08.2018

पीठासीन अधिकारी :— श्री राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

रामचन्द्र पुत्र तुलसीराम जाति धाकड़ निवासी रानीबडौद तहसील किशनगंज, जिला—बारां
— प्रार्थी

बनाम

1. बिरधीलाल पुत्र प्रभूलाल जाति बलाई निवासी रानीबडौद तहसील, किशनगंज जिला बारां।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां — अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री घनश्याम गर्ग, अभिभाषक अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र वास्ते निरस्त किये जाने आवंटन आदेश दिनांक 14.05.1981 केम्प मिसाई ग्राम रानीबडौद तहसील किशनगंज अन्तर्गत धारा 14(4) राज.भू. राजस्व अधिनियम 1970

निर्णय दिनांक 28.06.2022

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र राजस्थान भू.— राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

ग्राम रानीबडौद पटवार हल्का रानीबडौद तहसील किशनगंज की आबादी में आराजी नम्बर 588 रकबा 0.04 बीघा अवस्थित है। जो चारों और से आबादी एवं रिहायशी मकानों से घिरी हुई है, उक्त आराजी को प्रार्थना पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उपरोक्त विवादित आराजी पर प्रार्थी का अर्सा 50 वर्षो से रिहायशी पक्का मकान बना हुआ है। जिसमें प्रार्थी अपने पिता के समय से अर्सा 50 वर्षो से अपने परिवार के साथ निवास करता चला आ रहा है। प्रार्थी एक कृषक परिवार का निर्धन व्यक्ति है, प्रार्थी एवं उसके पिता द्वारा मेहनत मजदूरी करके एक—एक पैसा जोड़—जोड़ कर काफी रूपये लगाकर उक्त आराजी में स्थित पक्के रिहायशी मकान का निर्माण करवाया है। प्रार्थी की कब्जे शुदा उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 588 रकबा 0.04 बीघा को आवंटन सलाहकार समिति केम्प मिसाई द्वारा बिना जांच पड़ताल किए, बिना पूछताछ किये, बिना मुश्तहरी करवाये, आवंटन की सूचना बिना नोटिस बोर्ड चस्पा किये विवादित आराजी मौके पर खाली नहीं होने एवं मौके पर प्रार्थी का पक्का मकान बना होने के बाबजूद अन्य आवंटित आराजियात के साथ—साथ उपरोक्त विवादित आराजी भी अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में हल्का पटवारी की गलत व मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 14.05.1981 को विधि विरूद्ध एवं गैर कानूनी तरीके से आवंटन कर दिया गया। जबकि आवंटन से 50 वर्षो से पूर्व से आज तक उक्त आवंटित विवादित आराजी पर प्रार्थी द्वारा पक्का मकान बनाकर रिहायशी कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी को उक्त आवंटन बाबत कोई सूचना नहीं दी गई, न ही मौके से प्रार्थी को विवादित आराजी से बेदखल किया गया। विवादित आराजी मौके पर खाली नहीं होने के बावजूद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.07.26 16:28:56 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में किया गया आवंटन विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। उपरोक्त विवादित आराजी पर प्रार्थी अर्सा 50 वर्षो से रिहायशी पक्का मकान बनाकर लगातार, निर्बाध रूप से, बेरोक टोक अपने परिवार सहित निवास करता चला आ रहा है। अप्रार्थी क्रम 1 को उक्त आराजी पर कभी दखल नहीं दिया गया है। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा आवंटन अधिनियम के तहत लागू शर्तो का भी पालन नहीं किया गया है, न ही उक्त आराजी 50 वर्षो से कभी काश्त की गई, न ही काश्त योग्य रही है। प्रार्थी के विवादित आराजी पर बने हुए मकान एवं कब्जे को नजर अन्दाज करके छल एवं कपट पूर्वक आवंटन सलाहकार समिति केम्प मिसाई से अप्रार्थी क्रम 1 ने अपने पक्ष में आवंटन करवा लिया गया है, अप्रार्थी भूमिहीन की परिभाषा में भी नही आता है, अस्तु अप्रार्थीक्रम 1 के पक्ष में आबादी भूमि में किया गया आवंटन विधी विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

उक्त आवंटन की जानकारी प्रार्थी को हल्का पटवारी द्वारा भूमि पट्टा बनबाने हेतु उनके पास जाने पर दी गई है। आवंटन की नकल प्रार्थी को दिनांक 20.07.2018 को प्राप्त हुई है। नकल आवंटन प्राप्त होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय श्रीमान में अवधि मध्य प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है।

अपीलान्ट द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत करने पर देरी को माफ करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत पृथक से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जो शामिल पत्रावली है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आवंटन की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.07.2018 को तत्पश्चात् नकल प्राप्त करने पर हुई। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 में वर्णित कारणों से हम सहमत हैं। अतः प्रस्तुत अपील में डिले को माफ करते हुए अवधि मध्य मानी जाकर अपील विचारार्थ स्वीकार की जाती है।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम रानीबडौद पटवार हल्का रानीबडौद की आबादी के मध्य में आराजी खसरा नम्बर 588 रकबा 0.04 बीघा चारो ओर से आबादी एवं रिहायशी का मकानों से घिरी हुई है वक्त आवंटन यह आराजी किस्म खेडा दर्ज था। वक्त आवंटन उक्त आराजी पर प्रार्थी के पिता का मकान बना हुआ था। आराजी पर प्रार्थी का अर्सा 50 वर्षो से रिहायशी पक्का मकान बना हुआ है। जिसमें प्रार्थी अपने पिता के समय से अर्सा 50 वर्षो से अपने परिवार के साथ निवासी करता चला आ रहा है। प्रार्थी एक कृषक परिवार का निर्धन व्यक्ति है, प्रार्थी एवं उसके पिता द्वारा मेहनत मजूदरी करके एक–एक पैसा जोड–जोड कर काफी रूपये लगाकर उक्त आराजी में स्थिति पक्के रिहायशी मकान का निर्माण करवाया है। प्रार्थी की कब्जे शुदा उक्त आराजी खसरा नम्बर 588 रकबा 0.04 बीघा को आवंटन सलाहकार समिति केम्प मिसाई द्वारा बिना जॉच पडताल किए, बिना पूछताछ किए, बिना मुश्तहरी करवाये, आवंटन की सूचना बिना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए विवादित आराजी मौके पर खाली नही होने एवं मौके पर प्रार्थी का पक्का मकान बना होने के बाबजूद अन्य आवंटित आराजियात के साथ–साथ उपरोक्त आराजी भी अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में हल्का पटवारी की गलत व मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 14.05.1981 को विधि विरूद्ध एवं गैर कानूनी तरीके से आवंटन कर दिया गया। जबकि आवंटन से 50 वर्षो से पूर्व से आज [illegible] विवादित आराजी पर प्रार्थी का पक्का मकान बनाकर रिहायशी कब्जा चला आ रहा है। [illegible] उक्त आवंटन बाबत् कोई सूचना नहीं दी गई, न ही मौके से प्रार्थी को विवादित आराजी से [illegible] किया गया। विवादित आराजी मौके पर खाली नहीं होने के बावजूद [illegible] गया आवंटन विरूद्ध होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.07.26 15:28:56 IST
Reason: SelfAttested

खारिज होने योग्य है। उपरोक्त विवादित आराजी पर प्रार्थी अर्सा 50 वर्षो से रिहायशी पक्का मकान बनाकर लगातार, निर्बाध रूप से, बेरोक टोक अपने परिवार सहित निवास करता चला आ रहा है। अप्रार्थी क्रम 1 को उक्त आराजी पर कभी दखल नहीं दिया गया है। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा आवंटन अधिनियम के तहत लागू शर्तो का भी पालन नहीं किया गया है, न ही उक्त आराजी 50 वर्षो से कभी काश्त की गई, न ही काश्त योग्य रही है। प्रार्थी के विवादित आराजी पर बने हुए मकान एवं कब्जे को नजर अन्दाज करके छल एवं कपट पूर्वक आवंटन सलाहकार समिति केम्प मिसाई से अप्रार्थी क्रम 1 ने अपने पक्ष में आवंटन करवा लिया गया है, अप्रार्थी भूमिहीन की परिभाषा में भी नही आता है, अस्तु अप्रार्थीक्रम 1 के पक्ष में आबादी भूमि में किया गया आवंटन विधी विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय तहसीलदार साहब किशनगंज में प्रस्तुत अन्तर्गत धारा 183 (बी) की कार्यवाही भी न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 160/97 में निर्णय दिनांक 20.04.1998 को निरस्त कर प्रार्थी के मकान को हटाने से साफ इन्कार कर दिया था। पत्पश्चात अप्रार्थी द्वारा उक्त खसरा नम्बर 588 रकबा 0.04 बीघा भूखण्ड का प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 29.01.2000 को प्रतिफल राशि 6000/– रूपये विक्रय कर प्रार्थी को विधिनुसार मौके पर पुनः कब्जा दे दिया था। तत्पश्चात प्रार्थी अपने मकान को पक्का कर बडा बना दिया था। किन्तु उक्त भूखण्ड की वर्तमान बाजारू कीमत बड़ जाने के कारण अप्रार्थी से और अधिक राशि की मांग करता रहता है। विवादित आराजी पर अप्रार्थी का कभी भी कब्जा नही रहा है न ही कभी काश्त की गई। आवंटन सलाहकार समिति केम्प मिसाई द्वारा बिना जांच पड़ताल किए, बिना पूछताछ किए बिना, मुश्तहरी करवाये, आवंटन की सूचना बिना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए, विवादित आराजी मौके पर खाली नहीं होने एवं मौके पर प्रार्थी का पक्का मकान बना होने के बाबजूद अन्य आवंटित आराजियात के साथ–साथ उपरोक्त आराजी भी अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में हल्का पटवारी की गलत व मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 14.05.1981 को विधि विरूद्ध एवं गैर कानूनी तरीके से आवंटन कर दिया गया। जबकि आवंटन से 50 वर्षो से पूर्व से आज तक उक्त आवंटित विवादित आराजी पर प्रार्थी का पक्का मकान बनाकर रिहायशी कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी को उक्त आवंटन बाबत् कोई सूचना नहीं दी गई।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कहा कि ग्राम खल्दा तहसील किशनगंज में अप्रार्थी को कृषि भूमि खसरा सं. 588 की 0.04 बीघा आराजी नियमानुसार भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 14.05.1981 को अलोट हुई है। अप्रार्थी का इस आराजी पर अलोटमेन्ट के पूर्व से ही कब्जा काश्त था। जिसका वदस्तूर अलोटमेन्ट के पूर्व से व अलोटमेन्ट के समय से इस आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्तमान में यह आराजी अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज है। प्रार्थी का इस जमीन पर कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा इस कारण भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अप्रार्थी ने इस आराजी को कड़ी व कठोर मेहनत कर काबिल काश्त बनाया है। प्रार्थी ने जो अपील की है वह मनगढत, मिथ्या तथ्यों पर आधारित है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अप्रार्थी अपने खाते की उक्त आराजी पर नियमानुसार काबिज काश्त है। प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नियम विरूद्ध व विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया। जबकि आवंटन से 50 वर्षो से पूर्व से आज तक उक्त आवंटित विवादित आराजी पर प्रार्थी का पक्का मकान बनाकर रिहायशी कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी को उक्त आवंटन बाबत् कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.07.26 15:28:56 IST
Reason: SelfAttested

सूचना नहीं दी गई, न ही मौके पर खाली नहीं होने के बावजूद अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में किया गया आवंटन विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। उपरोक्त विवादित आराजी पर प्रार्थी अर्सा 50 वर्षो से रिहायशी पक्का मकान बनाकर लगातार, निर्बाध रूप से, बेरोक टोक अपने परिवार सहित निवास करता चला आ रहा है। अप्रार्थी क्रम 1 को उक्त आराजी पर कभी दखल नहीं दिया गया है। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा आवंटन अधिनियम के तहत लागू शर्तो का भी पालन नहीं किया गया है, न ही उक्त आराजी 50 वर्षो से कभी काश्त की गई, न ही काश्त योग्य रही है। प्रकरण में प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रमाण पेश नहीं किया जिससे आवंटन विधि विरूद्ध साबित होता हो।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 14.05.1981 को अप्रार्थीगण के पिता बिरधीलाल पुत्र प्रभूलाल जाति बलाई ग्राम रानीबडौद तहसील किशनगंज को ग्राम रानीबडौद की आराजी खसरा नं. 588 रकबा 0.04 बीघा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.07.26 15:28:56 IST
Reason: SelfAttested